

पत्रांक : सम्बद्धता/2025/11/7427

दिनांक : 13/11/2025.

महत्वपूर्ण/समयवद्ध

सेवा में,

प्राचार्य/प्रबन्धक

समस्त महाविद्यालय

सम्बद्ध- दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर-273009

विषय- उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए नये महाविद्यालयों/ संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों (बी0एड0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण हेतु समय-सारिणी के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 1355/70-2099/28/2025 पार्ट-2 दिनांक 06.11.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त निर्देश हुआ है कि शैक्षिक सत्र 2026-27 हेतु निर्धारित उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/ पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए निम्नवत समय-सारिणी निर्धारित की जाती है:-

क्र0	कार्यवाही	निर्धारित समय-सीमा
1	विश्वविद्यालय में नये पाठ्यक्रमों हेतु अनापत्ति प्रस्ताव आनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि।	दिनांक 06 नवम्बर से 15 दिसम्बर, 2025 तक।
2	विश्वविद्यालय में आनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के मूखि सम्बन्धी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाना।	दिनांक 16 दिसम्बर, 2025 से 20 जनवरी, 2026 तक।
3	अनापत्ति आदेश आनलाइन निर्गत किया जाना।	दिनांक 31 जनवरी, 2026 तक।
4	आनलाइन अनापत्ति के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा लिए गये निर्णय के विरुद्ध शासन में अपील करने की अंतिम तिथि।	दिनांक 10 फरवरी, 2026 तक।
5	शासन में अपील निस्तारित करने की अंतिम तिथि।	दिनांक 20 फरवरी, 2026 तक।
6	निरीक्षण मण्डल का गठन।	दिनांक 05 मार्च, 2026 तक। (1) अनापत्ति आदेश आनलाइन निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2026 तक निरीक्षण मण्डल का गठन के संबंध में आवेदन किया जायेगा। (2) तदोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा 05 मार्च, 2026 तक निरीक्षण मण्डल का गठन कर लिया जायेगा।
7	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या प्रस्तुत किया जाना।	दिनांक 05 अप्रैल, 2026 तक।
8	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता आनलाइन प्रदान करने की अंतिम तिथि।	दिनांक 20 अप्रैल, 2026 तक।
9	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता के संबंध में लिये गये निर्णय के विरुद्ध शासन में अपील करने की अंतिम तिथि।	दिनांक 10 मई, 2026 तक।
11	शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अंतिम तिथि।	दिनांक 31 मई, 2026 तक।

3- सामान्य निर्देश संलग्न शासनादेश के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार रहेंगे।

नोट- महाविद्यालयों से यह अपेक्षित है कि अनापत्ति/सम्बद्धता हेतु किये गये आनलाइन आवेदन <https://henoc.upsdc.gov.in/> पोर्टल पर करने के उपरान्त इसकी सूचना विश्वविद्यालय के ईमेल आईडी registrarddugu@gmail.com पर प्रेषित करने तथा आवेदन की हार्डकापी अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अतः समस्त सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थाओं में अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों (बी0एड0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) के संबंध में समय-सारिणी के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक- शासनादेश की छायाप्रति।

भवदीय

(डी0के0 श्रीवास्तव)

कुलसचिव

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1 जिलाधिकारी, गोरखपुर/देवरिया/कुशीनगर से अनुरोध है कि शासन द्वारा सशोधित समय-सारिणी से अवगत होने का कष्ट करें।
- 2 विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- 3 क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
- 4 समन्वयक, आई0टी0सी0 सेल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय वेबसाइट एवं समस्त महाविद्यालयों की लॉगइन में तत्काल प्रदर्शित करने का कष्ट करें।
- 5 प्रभारी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
- 6 वै0स0 कुलसचिव।

उपकुलसचिव

प्रेषक,

एमओपीओ अग्रवाल,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,

समस्त राज्य विश्वविद्यालय,

उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 06 नवम्बर, 2025

विषय:- उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिये नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों (बी०एड० (बी०एड० पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण हेतु समय-सारिणी।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शैक्षिक सत्र 2026-27 हेतु उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी०एड० पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए निम्नवत समय-सारिणी निर्धारित की जाती है :-

क्र०	कार्यवाही	समय-सीमा
1.	विश्वविद्यालय में नये पाठ्यक्रमों हेतु अनापति प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 06 नवम्बर से 15 दिसम्बर, 2025 तक।
2.	विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि संबंधी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाना।	दिनांक 16 दिसम्बर, 2025 से 20 जनवरी, 2026 तक। (1) अनापति प्रस्ताव प्राप्त होने के तिथि से 07 दिन के अंदर संबंधित जनपद के जिलाधिकारी को सत्यापन हेतु प्रेषित कर दिया जायेगा। (2) तदोपरान्त जिलाधिकारी प्रस्ताव प्राप्त होने के अधिकतम एक माह के अंदर सत्यापन रिपोर्ट संबंधित विश्वविद्यालय को ऑनलाइन प्रेषित कर देगा।
3.	अनापति आदेश ऑनलाइन निर्गत किया जाना	दिनांक 31 जनवरी, 2026 तक।
4.	ऑनलाइन अनापति के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये निर्णय के	दिनांक 10 फरवरी, 2026 तक।

	विरुद्ध शासन में अपील करने की अंतिम तिथि	
5.	शासन में अपील निस्तारित करने की अंतिम तिथि	दिनांक 20 फरवरी, 2026 तक।
6.	निरीक्षण मण्डल का गठन।	निरीक्षण मण्डल का गठन दिनांक 05 मार्च, 2026 तक। (1) अनापति आदेश ऑनलाइन निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक 28 फरवरी तक निरीक्षण मण्डल का गठन के संबंध में आवेदन किया जायेगा। (2) तदोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा 05 मार्च तक निरीक्षण मण्डल का गठन कर लिया जायेगा।
7.	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या का प्रस्तुत किया जाना।	दिनांक 05 अप्रैल, 2026 तक।
8.	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता ऑनलाइन प्रदान करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 20 अप्रैल, 2026 तक।
9.	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता के संबंध में लिये गये निर्णय के विरुद्ध शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 10 मई, 2026 तक।
10.	शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 31 मई, 2026 तक।

2- सामान्य निर्देश :-

(i) ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि संबंधी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराये जाने के संबंध में निर्देश:-

- खतौनी का सत्यापन।
- संयुक्तता प्रमाण पत्र एवं नजरी नक्शा का स्थलीय सत्यापन।
- सत्यापन उन बिन्दुओं तक होगा जो शासनादेश के अनुरूप हों अन्यथा यह माना जायेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुचित आपत्तियां लगाई जा रही हैं।

(ii) निरीक्षण मण्डल हेतु पैनल बनाने के मानक:-

- निरीक्षण मण्डल का पैनल विश्वविद्यालय तैयार करेंगे, जिसमें सक्षम स्तर के विषय विशेषज्ञ होंगे तथा एक सदस्य-सचिव का नामांकन भी किया जायेगा, जिसका दायित्व निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।
- निरीक्षण की तिथि हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दो विकल्प दिये जाये, जिसपर पैनल सदस्यों सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। उक्त दोनों तिथियां पोर्टल पर प्रदर्शित होंगी। संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव का यह दायित्व होगा कि उक्त निर्धारित तिथि पर पैनल सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित हो। उक्त निर्धारित तिथि पर निरीक्षण न होने होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त समझा जा सकता है।

- पैनल में जो सदस्य निरीक्षण हेतु निर्धारित तिथि पर उपस्थित न हों तथा जिनकी सत्यनिष्ठा की शिकायत हो, उनके विरुद्ध मन्तव्य स्थापित करने हेतु उचित कार्यवाही की जाये।
- पैनल सदस्यों के कार्य आचरण का वर्षानुवर्ष रिकार्ड रखा जाये।
- (iii) निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु मानदण्ड:-
 - प्रस्ताव एवं अभिलेख की प्राप्ति चेक लिस्ट के अनुसार हो तथा प्राप्तकर्ता द्वारा स्पष्ट रूप से इंगित किया जाये।
 - निरीक्षण आख्या पूर्ण एवं सुस्पष्ट हो। शासनादेश में जिन बिन्दुओं की पुष्टि की अपेक्षा है, उसके अनुरूप निरीक्षण आख्या हो, यह सुनिश्चित करने का दायित्व सदस्य सचिव का होगा।
 - प्रक्रिया में शुचिता एवं पारदर्शिता बनाए रखने हेतु यथा-आवश्यकता निरीक्षण मण्डल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का प्रति-सत्यापन शासन स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जा सकता है।
- 4- उक्त समय-सारिणी एवं निर्देशों का प्रभावी एवं समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

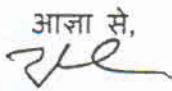
भवदीय,


(एमओपीओ) अग्रवाल
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, श्री कुलाधिपति, 30प्र0।
2. समस्त कुलपति, राज्य विश्वविद्यालय, 30प्र0।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, 30प्र0।
4. निदेशक, सूचना विभाग, 30प्र0 लखनऊ।
5. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से कि कृपया उक्त समय-सारिणी के अनुसार तत्काल पोर्टल पर अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
6. अपर सचिव उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
7. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/निजी सचिव, मा0 मंत्री जी।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।